(संशोधित आदेश, कार्यालय आदेश पृ0 क्रमांक 766/एम0बी0 दिनांक 15.07.2020 की निरन्तरता में)

जैसा कि विदित है, वर्तमान में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मध्यनजर मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि कोरोना महामारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से अधिक फैलती है। इसके बचाव एवं लोक शांति बनाएं रखने हेतू प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत में, मैं, पंकज, भा0प्र0से0, अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन एवं जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं जिला नूहं में बिना अनुमति के विवाह उत्सव या अन्य कोई भी कार्यक्रम वाटिका/बैंक्वेट हॉल में बिना अनुमति आयोजित करने पर रोक लगाता हूं।

सम्बन्धित उप मण्डल में विवाह कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने के लिए सम्बन्धित उप मण्डल मैजिस्ट्रेट को तुरन्त प्रभाव से प्राधिकृत करता हूँ। उप मण्डल मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार तथा SHOs अनुमति उपरान्त यह सुनिश्चित करें कि COVID-19 से सम्बन्धित निर्देशों/SOPs की पालना की जा रही है।

वाटिका/बैंक्वेट हॉल के परिसर आदि के मालिकों/प्रबन्धकों की जिम्मेदारी होगी कि वे यह जांच करे कि आयोजक द्वारा उक्त परिसर में किसी भी कार्य/कार्यक्रम की अनुमति सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त की गई है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए उक्त परिसर के मालिक/प्रबन्धक पूर्ण रुप से जिम्मेदार होंगे।

इस आदेश का जिला नूहं में जिला लोक सम्पर्क विभाग की वेन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचहेरी, उप मण्डल कचहेरी, तहसील कचेहरी तथा सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस स्टेशनों, बस स्टेण्डों पर नाटिस चस्पा करके प्रचार किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सपंठित आपदा प्रबन्धन अधीनियम, 2005 के तहत दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश आज दिनांक 20.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किये गये।

Seal of the Court District Magistrate सत्यमेव जयते Nuh

अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन एवं
जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं।

Scanned with CamScanner

पृ0क्रमांक :- 778 /एम0बी0 दिनांक :- 20-07-2020.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा चण्डीगढ।
4. आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी रेंज, रेवाडी।
6. जिला सत्र एवं न्यायाधीश, नूहॅं।
7. हरियाणा से सभी जिला मजिस्ट्रेट।
8. पुलिस अधीक्षक, नूहॅं।
9. अतिरिक्त जिलाधीश, नूहॅं।
10. उपमण्डल मजिस्ट्रेट, नूहॅं/तावडू/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना को निर्देश दिये जाते है कि सरकार की हिदायतानुसार वाटिका/बैंक्वेट हॉल में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम की अनुमति नियमानुसार प्रदान करें।
11. जिला राजस्व अधिकारी, नूहॅं।
12. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूहॅं।
13. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, नूहॅं।
14. जिला सूचना अधिकारी, (एन0आई0सी0) नूहं।
15. जिला के सभी तहसीलदार/उप तहसीलदार।
16. जिला के समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
17. जिला के समस्त थाना प्रबन्धक मार्फत पुलिस अधीक्षक कार्यालय नूहं।
18. जिला के समस्त सचिव, नगरपालिका।
19. जिले के समस्त मालिक/प्रबन्धक, वाटिका/बैंक्वेट हॉल आदि मार्फत सम्बन्धित बी0डी0पी0ओ0(ग्रामीण क्षेत्र) सचिव नगर पालिका (शहरी क्षेत्र)
20. निजि सहायक, उपायुक्त, स्टेनो नगराधीश।

अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन एवं
जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं।

Scanned with CamScanner